भारतीय शिल्प संस्थान

जे–8, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर– 302 004

बागवानी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क 200/– रूपये

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि. 29 अक्टूबर, 2025 को सांय 3.00 बजे

धरोहर राशि 10000/–रुपये

1. निविदादाता फर्म का नाम ....

2. कार्यालय का नाम पता मय फोन नं. ....

   ....

3. निवास स्थान का पता मय फोन नं. ....

   ....

4. निविदा हेतु धरोहर राशि रुपये .... डी.डी. नं. .... दिनांक .... संलग्न है।

5. अनुभव वर्ष .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. आयकर क्लियरेन्स, श्रम विभाग, पी.एफ., ई.एस.आई. का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. कार्य का स्थान– जयपुर

8. वित्तीय विवरण

क्रम संख्या	विवरण	दर	कुल
1	मूल वेतन प्रति व्यक्ति	26 दिन x रू.	
2	अन्य भत्ते प्रति व्यक्ति	26 दिन x रू.	
3	पी.एफ.	प्रतिशत.............	
4	इ.एस.आई	प्रतिशत	
		योग	
		सर्विस चार्ज (प्रतिशत)	
		कुल योग	
		कर प्रतिशत	
		महायोग	

हस्ताक्षर

तिथि :–

स्थान :–

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में रूपये 1000/.. Indian Institute of crafts and design के नाम से जमा कराने होंगे। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदादाता को फॉर्म शुल्क नगद या डी.डी. जमा करवाना अनिवार्य होगा जिसकी रसीद फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करते समय पिछले तीन माह के पी.एफ., ईएसआई एवं जीएसटी के रिटर्न/चालान मय रसीद के प्रस्तुत करने होंगे।
4. सफल निविदादाता को **कुल निविदा के 05 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी,** जिसमें धरोहर राशि को समायोजित किया जा सकता है।
5. निविदादाता को निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। जिस पर स्पष्ट रूप से निविदादाता का नाम, कार्य का नाम अंकित होना चाहिये।
6. निविदादाता को राजकीय कार्यालयों, एवं अन्य संस्थानों में बागवानी कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थानों के विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। वार्षिक टर्न आवेर 10 लाख का होना आवश्यक है।
7. निविदादाता ठेका अथवा ठेके का कोई भाग सबलेट नहीं कर सकेगा।
8. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य न करने की दशा में जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी, जिस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
9. निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे आपसी सहमति से अन्य वर्ष/वर्षों के लिए भी बढ़ाई जा सकती है।
10. निविदादाता के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी बिना प्रवेश पत्र के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
11. निविदादाता द्वारा कार्य के किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता बरती जाती है तो बिना कारण बताये एक नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
12. निविदादाता को भारतीय शिल्प संस्था के पूरी परिसर में स्थित पेड़–पौधों का विकास एवं संधार एवं गमलों आदि की साफ–सफाई करती होगी।
13. कार्य करते समय बागवानी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेवारी निविदादाता की ही होगी।

14. निविदादता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कर्मचारियों के कार्य की निगरानी स्वयं को करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराने जाने वाले कर्मचारियों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कर्मचारियों की निगरानी स्वयं को करनी होगी।
16. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कर्मचारी प्रतिदिन 08 घंटे उपस्थित रहेंगे।
17. निविदादाता द्वारा समस्त लॉन, पेड–पौधों के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। इस कार्य हेतु कार्य की प्रकृति के अनुसार बागवानी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।
18. निविदादाता द्वारा सस्थान में रखे जाने वाले समस्त घमलों की देखभाल व संधारण हेतु गुढ़ाई तथा पानी देना, आवष्यकतानुसार समय समय पर खाद, उर्वरक, दवाई आदि डालना तथा नये गमले आदि तैयार करने की जिम्मेदारी होगी।
19. निविदादाता द्वारा बागवानी में काम आने वाले समस्त उपकरण, जैसे लॉन कटिंग, कैंची, कुदाली, फावड़ी, परात, खुरपी, पानी के पाईप (पानी के फव्वारें–स्प्रिकलर) आदि सामग्री स्वयं की ही होगी।
20. निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार घमले, खाद, कच्ची फुलवारी के बीजों, दवाई आदि के लिए समय से पूर्व अवगत करवाना होगा। जो कि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाना होगा।
21. निविदादाता द्वारा समस्त परिसर, महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाउस के पीछे की ओर उद्यान विकास, वृक्षारोपण और उगने वाली जंगली घास आदि की कटाई–सफाई आदि का कार्य किया जावेगा।
22. निविदादाता द्वारा परिसर में किसी भी भाग में असंतोषजनक कार्य पाये जाने पर भुगतान की जाने वाली राशि में से आनुपातिक कटौति की जावेगी एंव एक माह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
23. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
24. संस्थान न्यूनतम दरों पर ठेका देने को बाध्य नहीं होगा
25. संस्थान परिसर के लॉन में बिखरे कागज, गिलास एवं अन्य बेकार कचरा/समाग्रियों को प्रतिदिन इकट्ठा कर निर्धारित स्थान पर रखना होगा।
26. निविदादाता को भुगतान माह में एक बार ही किया जावेगा। जिसका बिल माह की 05 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

27. निविदादाता द्वारा सफाई कर्मियों का पी.एफ., ईएस.आई एवं न्यूनतम वेतन का मासिक प्रमाण पत्र मय चालान संस्थान को प्रतिमाह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिसके पश्चात ही संस्थान द्वारा भुगतान कियाा जवेगा।

28. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान किया जावेगा, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वर्दी भत्ता, न्यूनतम वेतन एवं अन्य लाभ, परिलाभ देने का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।

29. न्यूनतम वेतन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और समय समय पर संशोधित दरों पर किया जावेगा

30. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मचारी एक प्रकार की ही वर्दी में होने चाहिये।

31. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक, भारतीय शिल्प संस्थान का होगा, जो मान्य होगा।

32. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

हस्ताक्षर

रबर मोहर सहित